UPHM040087992026

न्यायालय C.J.M, Hamirpur

Bail Application/1371/2026

ARUN KUMAR CHTURVEDI Vs. STATE OF UP

मु०अ०सं०-250/2026
धारा-281, 106(1) बी०एन०एस०
थाना- सुमेरपुर, जिला हमीरपुर।

दिनाकं-11.08.2026

अभियुक्त अरुण कुमार चतुर्वेदी पुत्र परमात्मादीन चतुर्वेदी, निवासी 16/26 मिश्रा कालोनी शुक्लागंज नेतुवा उन्नाव, जिला उन्नाव द्वारा मु०अ०सं०-250/2026, अन्तर्गत धारा-281, 106(1) बी०एन०एस०, थाना सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र पर तर्क इस प्रकार है कि प्रार्थी उपरोक्त मामले में पूर्णतया निर्दोष है। प्रार्थी को रंजिशन झूंठा फसाया गया है। प्रार्थी द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी का उक्त अपराध से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी द्वारा दौरान मुकदमा जमानत की याचना की गई है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा अपराध जमानतीय होने का कथन किया गया है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली/थाने की आख्या का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। थाने से आख्या प्राप्त है। अतः मामले के तथ्यों परिस्थितियों में तथा मामले के गुण-दोष पर न जाते हुए प्रस्तुत मामले में अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त अरुण कुमार चतुर्वेदी पुत्र परमात्मादीन चतुर्वेदी द्वारा मु०-20,000/-रू० के व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक-11.08.2026

(डॉ० महेन्द्र कुमार पाण्डेय),
प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
हमीरपुर।